बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका सं० स्था०2/04-03/2012 619 /पटना, दिनांक 30/03/16

प्रेषक,

निदेशक
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक-सह-आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषयः- बिहार सरकार के विनियोग लेखे 2014-15 का विभिन्न अनुदानों/शीर्षो में अधिक व्यय किए जाने के संबंध में।

प्रसंगः- वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-9/अ०लो०ले०स०(अ०व्यय)-04/2013-1067 वि० दिनांक 09.02.2016 एवं योजना एवं विकास विभाग का पत्रांक- यो०ब०-2/1-15/2015-892/यो०वि० दिनांक-16.02.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार सरकार के विनियोग लेखे-2014-15 में माँग संख्या-35 मुख्य शीर्ष-3454 के अन्तर्गत उपशीर्ष-0101 -समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विपत्र कोड- P/3454022050101 में ₹1.54 लाख रुपये का अधिकाय व्यय प्रतिवेदित किया गया है।

विदित हो कि विभिन्न उप शीर्षो के अन्तर्गत आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी/व्यय का माहवार त्रैमासिक लेखा का सत्यापन महालेखाकार बिहार, पटना के कार्यालय से नहीं कराये जाने के कारण अधकाय व्यय का मामला उत्पन्न होता है।

अतएव अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य शीर्ष-3454 के राज्य योजना उपशीर्ष 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 31.03.2015 तक हुए निकासी/व्यय का जाँच करते हुए उसका सत्यापन (विपत्र वार टी०भी० नम्बर के साथ) महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के Reconcilation Cell से करवाकर सत्यापित प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर निदेशालय के बजट शाखा को विशेष दूत के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। ताकि उससे संबंधित प्रतिवेदन वित्त विभाग/महालेखाकार को उपलब्ध कराकर अधिकाय व्यय का समाधान किया जा सके।

विश्वासभाजन

30/03/16

निदेशक

43 दिनांक 28.03.2016

30/3/16